राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

कमांक:–प.17(07)नविवि/नियम/2024 **जयपुर, दिनांक: 24 FEB 2025**

आदेश

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 74, राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम, 1974 के नियम 7ए एवं राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम 1970 की धारा 60 के तहत् नगरीय निकायों/नगर विकास न्यासों/राजस्थान आवासन मण्डल/समस्त विकास प्राधिकरणों की 31 मार्च 2024 तक की बकाया लीज राशि दिनांक 30 सितम्बर, 2025 तक एकमुश्त जमा कराये जाने पर ब्याज राशि में शत–प्रतिशत छूट एतदद्वारा प्रदान की जाती है।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 252500046 दिनांक 20.02.2025 पर प्रदत्त सहमति से जारी की जाती है।

उक्त आदेश तुरन्त प्रवृत्त होगा, किन्तु पूर्व में निस्तारित प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जावेगा व जमा राशि पुनः लौटाई नहीं जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रवि विजय)
शासन उप सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ /आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
7. निजी सचिव, वित्त सचिव (राजस्व) विभाग।
8. शासन उप सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नविवि।
9. आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. आयुक्त/सचिव, समस्त विकास प्राधिकरण।
11. सचिव, समस्त नगर विकास न्यास।
12. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
13. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उपविधि परामशी, नविवि, जयपुर।
14. अति0 निदेशक, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
15. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार।

Document certified by RAVI VIJAY
<ravijay26@gmail.com>
शासन उप सचिव–प्रथम
Digitally Signed by Ravi Vijay
Designation : Deputy
Secretary To Government
Date :24-02-2025 05:43:51

RajKaj Ref No.: 13802417